संख्या-10/2023/33/001-53-2099-1405-2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

**दुग्ध विकास अनुभाग-2** **लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में (अनुदान संख्या-16 राज्य योजना)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-564/दुग्ध-4/नियो0/सूचना तक0 कम्प्यू0(273)/2022-23, दिनांक 23 फरवरी, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख सापेक्ष दुग्ध आयुक्त कार्यालय हेतु रू0 140.00 लाख एवं पी0सी0डी0एफ0 लि0 हेतु रू0 60.00 लाख अर्थात रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष दुग्ध आयुक्त कार्यालय हेतु रू0 140.00 लाख एवं पी0सी0डी0एफ0 लि0 हेतु रू0 60.00 लाख अर्थात कुल रू0 14.00+60.00=200.00 लाख (रू0 दो करोड मात्र) की धनराशि निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल प्रस्तर-3 में उल्लीखित नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

| क्र0 | क्रय किये गये उपकरण/सेवाओं का विवरण | मेक/माडल/नाम | कुल अनुमानित धनिराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **दुग्ध आयुक्त कार्यालय हेतु** | | |
| 1 | विभागीय वेबसाईट के वार्षिक अनुरक्षण, होस्टिंग, सिक्योरिटी आडिट, टेक्निकल सपोर्ट आदि कार्यों हेतु। | जेम पोर्टल के माध्यम से | 1.25 |
| 2 | मा0 मुख्यमंत्री जी के डैशबोर्ड दर्पण से इन्टीग्रेट, जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सेवा दुग्ध समितियों के आनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु विकसित पोर्टल के वार्षिक अनुरक्षण, होस्टिंग, सिक्योरिटी आडिट, टेक्नीकल सपोर्ट आदि कार्यों हेतु। | Milk Society registration G2C जेम पोर्टल के माध्यम से | 2.00 |
| 3 | दुग्ध आयुक्त कार्यालय में स्थापित समस्त कम्प्यूटरों हेतु बीएसएनएल द्वारा 30 एमवीपीएस की प्रदान की जा रही इण्टरनेट लीज लाईन सेवा का वार्षिक व्यय हेतु। | शासकीय संस्था बी0एस0एन0एल0 | 4.50 |
| 4 | शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु दुग्ध आयुक्त कार्यालय में तैनात अधिकारियों के कक्ष हेतु फोटोकापियर मशीन क्रय हेतु। | जेम पोर्टल के माध्यम से | 2.00 |
| 5 | शासकीय कार्यो के सम्पादन हेतु दुग्ध आयुक्त कार्यालय के लिए आल इन वन डेस्कटाप कम्प्यूटर क्रय हेतु | आई-7/लेटेस्ट टेक्नोलोजी के आल इन वन डेस्कडाप कम्प्यूटर जेम पोर्टल के माध्यम से | 3.75 |

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | दुग्ध आयुक्त कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटरों में रक्षित डेटा की सुरक्षा तथा इण्टरनेट के माध्यम से आने वाले वायरस आदि से साईबर सुरक्षा के दृष्टिगत फायरवाल का क्रय | फायरवाल क्रय ।<br>जेम पोर्टल के माध्यम से | 3.40 |
| 7 | शासकीय कार्य हित में वर्चुवल मीट के आयोजनों हेतु पी0टी0जेड0 कैमरा क्रय हेतु। | जेम पोर्टल के माध्यम से | 2.00 |
| 8 | उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण तथा फैसलिटेशन सेन्टर हेतु डेडीकेटेड पोर्टल मोबाइल एप सहित विकसित/ अपडेशन, वेव होस्टिंग आदि कार्यों हेतु | राज्य सरकार की कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से | 84.60 |
| 9 | उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु डाटा मैनेजमेंट एण्ड फैसलिटेशन सेन्टर हेतु आई0 टी0 सेटअप आदि कार्यों हेतु | जेम पोर्टल के माध्यम से | 36.50 |
| | **<u>पी0सी0डी0एफ0 लि0 कार्यालय हेतु</u>** | | |
| 10 | आन लाईन डीपीएमसीयू मानीटरिंग साफ्टवेयर के टेक्नीकल सपोर्ट हेतु एवं पी0सी0डी0एफ0 व 18 दुग्ध संघों में स्थापित कन्ट्रोल रूम के लीज लाईन की व्यवस्था हेतु। | -- | 48.22 |
| 11 | पी0सी0डी0एफ0 की वेबसाईट के टेक्नीकल सपोर्ट एवं सिक्योरिटी आडिट हेतु। | -- | 2.00 |
| 12(1) | एम0आई0एस0 वेबसाईट के टेक्नीकल सपोर्ट हेतु | -- | 0.30 |
| 12(2) | पी०सी०डी०एफ० लि० की ई-मेल के टेक्नीकल सपोर्ट हेतु | -- | 0.45 |
| 13 | सी0एम0 डैसबोर्ड दर्पण 2.0 से पी0सी0डी0एफ0 लि० एवं दुग्ध आयुक्त, की सेवाओं को इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु | -- | 4.53 |
| 14 | पी0सी0डी0एफ0 लि0 मुख्यालय हेतु डेस्कटाप कम्प्यूटर सिस्टम हेतु | -- | 2.50 |
| 15 | पी0सी0डी0एफ0 लि0 मुख्यालय पर ब्राडबैण्ड एवं वीसी रूम के लिए लीज लाईन व्यवस्था हेतु। | -- | 2.00 |
| | | योग- | 200.00 |

3- वित्तीय वर्ष 2022-23 में सन्दर्भगत योजनान्तर्गत उक्त तालिका में अंकित धनराशि निम्न लिखित नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध के अधीन व्यय की जायेंगी:-

**<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध</u>**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रस्तावित कार्यो/मदों हेतु उक्त तालिका के कालम-2 के अनुसार अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो अपने संसाधन से वहन किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु है, जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/ संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा, व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए दुग्ध आयुक्त स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित होता है, तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त/ प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०डी०एफ०लि० का होगा ।

---

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) धनराशि का आहरण करने तथा स्वीकृत धनराशि निर्धारित प्रायोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व दुग्ध आयुक्त/ प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०डी०एफ०लि० का होगा ।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से मशीनरी/उपकरणों आदि का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के संगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुसरण करते हुए किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारी के लेखे बही खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परिक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(9) वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवशेष तथा उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र मदवार निर्धारित प्रारूप पर शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404001020305 सूचना तकनीक एवं कम्प्युटरीकरण **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/ 2022, दिनांक 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

**संख्या-10/2023/33(1)/001-53-2099-1405-2019, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय लखनऊ/प्रयागराज।
3- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
6- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- वेबमास्टडर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।